भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 592

जिसका उत्तर 25.07.2024 को दिया जाना है

राजमार्गों पर टोल टैक्स

592. श्री सुधाकर सिंहः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चार और छह लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के टोल टैक्स की दरों में कोई अंतर है और यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या टोल टैक्स राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही वसूला जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान छह लेन वाले राजमार्गों की दरों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर स्थित डिडिखिली और शिवसागर (सासाराम) टोलों पर संगृहीत किए गए कुल कर का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्माण कार्य पूरा होने से पहले छह-लेन की टोल दर के अनुसार टोल वसूलने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है और यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का छह-लेन की टोल दर के अनुसार टोल टैक्स वसूलने वाली संबंधित और साथ ही लापरवाह एनएचएआई अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जी, नहीं । राष्ट्रीय राजमार्गों के चार या अधिक लेन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क की दरें अपरिवर्तित रहती हैं।

(ख) जी, नहीं । राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार चार लेन को छह लेन या अधिक लेन में उन्नयन करने के दौरान भी उपयोगकर्ता शुल्क (टोल) वसूला जाता है।

(ग) छह लेन वाले राजमार्गों के लिए कोई अलग उपयोगकर्ता शुल्क (टोल) दर नहीं है। हालांकि, पिछले तीन वर्षों के लिए डिडिखिली और शिवसागर (सासाराम शुल्क प्लाजा) में भारत के

राजपत्र में प्रकाशित शुल्क अधिसूचना के अनुसार चार लेन राजमार्ग की दर से उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**राशि (लाख रुपये में)**
2021-22	27,041
2022-23	32,697
2023-24	35,251

(घ) से (च) रारा शुल्क नियम, 2008 और रियायत समझौते के प्रावधान के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित संबंधित उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क (टोल) प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क (टोल) एकत्र किया जा रहा है।

****